

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ 19(1)()मअ/स्था/2002/ 59188


जयपुर, दिनांक 24-10-11

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उप धारा (1)(2) एवं 9(1) की क्रियान्विति के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 44886 दिनांक 1.7.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए लोक प्राधिकरण निदेशालय महिला अधिकारिता के अंतर्गत निम्नांकित विषयों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए उनके सम्मुख अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र.स	विषय	लोक सूचना अधिकारी का पद नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	अधिकारियों के निरीक्षण, भ्रमण, प्रशिक्षण, विधानसभा प्रश्न, लोकसभा प्रश्न, वी.आई.पी. कार्यालयों से प्राप्त प्रकरण, सुनवाई का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ से संबंधी सूचना, विधि संबंधी सूचना, साथिन कार्यक्रम, महिला नीति, महिला शक्ति पुरस्कार महिला दिवस, सामूहिक विवाह अनुदान योजना, सबला योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी बालिका मंडल से संबंधित सूचना,	अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता	उपनिदेशक प्रशासन एवं प्रशिक्षण	प्रमुख शासन सचिव, मबावि
2	जैण्डर रेस्पॉन्सिव बजटिंग, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (मिशन पूर्ण शक्ति), राज्य महिला संदर्भ केन्द्र, वन स्टॉप काइसिस मैनेजमेंट सेन्टर (अपराजिता) से संबंधित सूचना	अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, जैण्डर प्रकोष्ठ	उपनिदेशक प्रशासन एवं प्रशिक्षण	प्रमुख शासन सचिव, मबावि
3	स्वयं सहायता समूह संबंधी समस्त सूचना, गोधन/ग्राम्या/शिल्पी उप समूह, साख दर्पण, मेगा क्लस्टर, अमृता हाट, धनलक्ष्मी केन्द्र, बाल विवाह रोकथाम अभियान, मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम,, बालिका नीति, अमृता सोसायटी, मिशन ग्राम्य शक्ति,	अतिरिक्त निदेशक, एसएचजी	उपनिदेशक प्रशासन एवं प्रशिक्षण	प्रमुख शासन सचिव, मबावि

	महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, स्टेप योजना, स्वावलंबन योजना, प्रियदर्शिनी योजना, कलेवा योजना, देवनारायण योजना, सहरिया कार्यक्रम से संबंधी सूचना			
4	बजट एवं लेखा संबंधी समस्त सूचना	मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता	उपनिदेशक प्रशासन एवं प्रशिक्षण	प्रमुख शासन सचिव, मबावि
5	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जिला महिला सहायता समिति, महिला उत्पीड़न एवं दहेज संबंधी प्रकरण, संस्थापन संबंधी समस्त सूचना, स्टोर एवं पूल से संबंधी तथा आवक-जावक शाखा से संबंधी सूचना	उपनिदेशक, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ	उपनिदेशक प्रशासन एवं प्रशिक्षण	प्रमुख शासन सचिव, मबावि



(पी.एस.मेहरा) 24/10/13

प्रमुख शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ 19(1)()मअ/स्था/2002/59195-291

जयपुर, दिनांक 24.10.13

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
4. पंजीयक, राज्य सूचना आयोग, ओटीएस चौराहा के पास, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
6. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (आरटीआई प्रकोष्ठ), जयपुर।
7. कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय संदर्भ एवं प्रशिक्षण केन्द्र, संभाग स्तरीय कार्यालय।
8. आयुक्तालय, महिला अधिकारिता के समस्त कर्मचारी-अधिकारीगण।
- ✓ 9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि इस वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता
11. रक्षित पत्रावली।
12. पत्र में वर्णित 1-5 क्र. सं. पर वर्णित लोकसूचना अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(डॉ० टीना कुमार)

निदेशक

महिला अधिकारिता